

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नं.
क्र. 17/14
उत्पन्न

17/14

जिला

अजमेर

कनकचंद, मेड़ताखिरी

रा.स.

डय-पंजीमड, मेड़ताखिरी

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

19-1-15

एकलपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

वकील प्रार्थी श्री गौतम टांक एवं विभागीय प्रतिनिधि
श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

श्री टांक ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा
जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक
16.12.2014 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत निगरानी को
विद्वज्ज करना चाहते हैं। इस बाबत श्री टांक ने प्रार्थना पत्र भी
पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि
ने इस पर कोई आप्पति व्यक्त नहीं की।

अतः श्री गौतम टांक एडवोकेट का निगरानी को विद्वज्ज
करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
निगरानी जरिये विद्वज्जअल खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर